न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

क्रमांक/वि.अ./07/17/टोंक

विभागीय अपील द्वारा श्री रामलक्ष्मण विजय भू–अभिलेख निरीक्षक, छान तहसील टोंक विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर टोंक दिनांक 26–05–2017 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री रामलक्ष्मण भू–अभिलेख निरीक्षक, छान तहसील टोंक

निर्णय

दिनांकः– 22.6.2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 26–05–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 20.3.2017 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

आप श्री रामलक्ष्मण विजय भू–अभिलेख निरीक्षक वृत छान के पद पर कार्यरत रहते हुए आपके समक्ष ग्राम छान का नामान्तरकरण संख्या 1488 दिनांक 01–8–2015 को पटवारी हलका छान द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 18–8–2015 को जांच हेतु पेश करने पर नामान्तरकरण पर आप द्वारा कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई। पुनः उक्त नामान्तरकरण, नामान्तरकरण संख्या 1491–1493 के साथ जांच हेतु पेश किये जाने पर उक्त तिथि को नामान्तरकरण पर टिप्पणी अंकित नहीं की गई। पुनः नामान्तरकरण संख्या 1491–1493 के साथ पेश किया गया जिस पर तिथि की टिप्पणी अंकित है। इसके उपरान्त उक्त नामान्तरकरण दिनांक 19–9–2015, 30–9–2015, 3–11–2015, 19–11–2015, 12–12–2015, 21–12–2015, 29–12–2015, 1–1–2016 व 20–1–2016 को

पटवारी द्वारा अन्य नामान्तरकरणों के साथ आपके समक्ष जांच हेतु पेश किया गया किन्तु इसके उपरान्त आपने कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई। नामान्तरकरण पर दिनांक 1–02–2016 को मौका पर्चा सजरा वारिसान एवं मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर पेश करने का अंकन किया गया। दिनांक 17–3–2016 को उक्त आक्षेप की पालना में की गई पूर्ति के साथ दिनांक 17–3–2016 को जांच हेतु पेश किया गया किन्तु आप द्वारा उस पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई। इसके उपरान्त दिनांक 4–4–2016 को आप द्वारा अंतिम जांच की गई। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 1509 दिनांक 18–9–2015 को दर्ज किया गया। इसके उपरान्त पटवारी हलका द्वारा नजरी नक्शा बनाकर नामान्तरकरण जांच हेतु दिनांक 4–10–2015 को पुनः जांच हेतु पेश किया गया इसके उपरान्त भी आपने कोई टिप्पणी अंकित नहीं की। दिनांक 30–9–2015 से 31–12–2015 तक उक्त नामान्तरकरण पर काई जांच नहीं की जाकर दिनांक 1–1–2016 को अंतिम जांच की गई। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 1560 ग्राम छान दिनांक 19–2–2016 को पटवारी हलका द्वारा दर्ज किया जाकर जांच हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर आप द्वारा दिनांक 07–03–2016 को 18 दिवस विलम्ब से जांच की गई। जबकि भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 121 के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक को नामान्तरकरण जांच 10 दिवस में की जानी चाहिए। इस प्रकार आप द्वारा नामान्तरकरणों को जानबूझकर अनावश्यक टिप्पणी अंकित कर लम्बित रखा गया जिसके लिए आप दोषारोपित है।

आरोप संख्या–दो

आप श्री रामलक्ष्मण विजय भू–अभिलेख निरीक्षक वृत छान के पद पर कार्यरत रहे हुए आपके समक्ष ग्राम अमीरपुराखेड़ा का नामान्तरकरण संख्या 913 दिनांक 18–1–2016 को पटवारी द्वारा दर्ज किया जाकर दिनांक 20–1–3016 एवं 2–3–2016 को आपके समक्ष अन्य नामान्तरकरणों के साथ जांच हेतु प्रस्तुत करने पर आप द्वारा कोई जांच नहीं की गई अपितु दिनांक 4–4–2016 को लगभग 106 दिवस विलम्ब से जाप द्वारा जांच की गई है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 915 एवं 916 दिनांक 08–02–2016 को पटवारी द्वारा दर्ज करने के उपरान्त दिनांक 21–2–2016 को जांच हेतु प्रस्तुत करने पर भी आप द्वारा कोई जांच टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। उक्त नामान्तरकरणों पर दिनांक 2–3–2016 को 11 दिवस पश्चात मौके पर पेश करने का अंकन किया गया एवं दिनांक 4–4–2016 को नामान्तरकरण पर 44 दिवस विलम्ब से जांच अंकन की गई। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 917 दिनांक 8–2–2016 को दर्ज किया जाकर दिनांक 21–2–2016 को जांच हेतु प्रस्तुत किया जाने पर नामान्तरकरण पर दिनांक 2–3–2016 को मौके पर पेश करने का अंकन किया गया। उक्त नामान्तरकरण तत्पश्चात दिनांक 7–3–2016, 12–3–2016, 4–4–2016 को जांच हेतु प्रस्तुत

करने पर आप द्वारा कोई जांच टिप्पणी अंकित नहीं की गई, दिनांक 5–4–2016 को 56 दिवस पश्चात जांच की गई। जबकि भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 121 के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक को नामान्तरकरण जांच 10 दिवस में की जानी चाहिए। इस प्रकार आप द्वारा नामान्तरकरणों को जानबूझकर अनावश्यक टिप्पणी अंकित कर लम्बित रखा गया जिसके लिए आप दोषारोपित है।

आरोप संख्या तीन :–

आप श्री रामलक्ष्मण विजय भू–अभिलेख निरीक्षक वृत छान के पद पर कार्यरत रहते हुए आपके समक्ष ग्राम महुवा का नामान्तरकरण संख्या 955 पटवारी द्वारा जांच हेतु प्रस्तुत करने पर नामान्तरकरण पर ''पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण का उल्लेख करे'' की जांच टिप्पणी अंकित की गई। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 12–3–2016 को आक्षेप पूर्ति उपरान्त ग्राम छान के अन्य नामान्तरकरणों के साथ पेश किया गया, जिस पर आप द्वारा कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई। नामान्तरकरण पर दिनांक 19–4–2016 को 1 माह बाद जांच की गई है। इसी प्रकार उक्त ग्राम के नामान्तरकरण संख्या 944 दिनांक 16–8–2015 को पटवारी द्वारा दर्ज कर दिनांक 20–8–2016 को आपके समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत किया जाने पर नामान्तरकरण पर आप द्वारा अंतिम जांच दिनांक 12–9–2015 को की गई। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण पर आप द्वारा लगभग 22 दिवस विलम्ब से जांच की गई है जबकि भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 121 के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक को नामान्तरकरण जांच 10 दिवस में की जानी चाहिए। इस प्रकार आप द्वारा नामान्तरकरणों को जानबूझकर अनावश्यक टिप्पणी अंकित कर लम्बित रखा गया जिसके लिए आप दोषारोपित है।

आरोप संख्या चार :–

आप श्री रामलक्ष्मण विजय भू–अभिलेख निरीक्षक वृत छान के पद पर कार्यरत रहते हुए आपके समक्ष ग्राम अलीपुरा का नामान्तरकरण संख्या 775 दिनांक 8–2–2016 को दर्ज किया जाकर दिनांक 21–2–2016 कोजांच हेतु प्रस्तुत करने पर नामान्तरकरण पर आपके द्वारा कोई टिप्पणी अंकित नहीं की जाकर 42 दिवस विलम्ब से दिनांक 4–4–2016 को विक्रय पत्र एवं आदेश तहसीलदार, टोंक के आधार पर सही है, की टिप्पणी अंकित की गई है। दिनांक 21–2–2016 से दिनांक 4–4–2016 तक आप द्वारा पटवार मण्डल के अन्य नामान्तरकरण की जांच की गई है, किन्तु उक्त अवधि में उक्त नामान्तरकरण पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं करना आपकी बदनियति दर्शाता है जबकि भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 121 के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक को नामान्तरकरण जांच 10 दिवस में की जानी चाहिए। इस प्रकार आप द्वारा

नामान्तरकरणों को जानबूझकर अनावश्यक टिप्पणी अंकित कर लम्बित रखा गया जिसके लिए आप दोषारोपित है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 6–4–17 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इसलिए जिला कलक्टर, टोंक ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए इसके लिए तारीख 19–05–2017 निश्चित की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। जिला कलक्टर, टोंक ने अपीलान्ट की सुनवाई की और आर्डर शीट पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवाकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए अपीलांट को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धिया असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, टोंक के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, टोंक का आदेश दिनांक 26–05–2017 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट ने सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलांट को प्राथमिक जांच में अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया तथा प्राथमिक जांच करने बाबत कोई सूचना नहीं दी गई तथा जिला कलक्टर, टोक द्वारा मनमाने तरीके से 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये। कार्मिक विभाग के कई ऐसे परिपत्र समय–समय पर जारी होते है कि आरोपित कार्मिक को प्राथमिक जांचके दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जावे जिससे आरोपित कार्मिक अपना पक्ष रखकर मामले को स्पष्ट कर सके। इस प्रकार कार्मिक विभाग के निर्देशों व न्याय सिद्धान्तों की अवमानना करते हुए प्राथमिक जांच सम्पन्न की गई है। अतः जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलांट पर लगाये गये चारो आरोप नामान्तरकरणों की जांच करने में ढिलाई बरतने से संबंधित है। अपीलांट के विरूद्ध केवल आरोपों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ही चार आरोप लगाये गये है जबकि एक ही आरोप पर्याप्त था। इस प्रकार अपीलांट को केवल दण्डित करने के उद्देश्य से अनावश्यक चार आरोप से आरोपित किया गया है। जिला कलक्टर महोदय टोंक द्वारा 17 सीसीए के आरोप पत्र पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर तहसीलदार, टोंक से टिप्पणी चाही गई जिसमें अपीलांट को निर्दोष सिद्ध किया हैं उत्तराधिकार के नामान्तरकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा वारिसान जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को रेकार्ड पर लिये बिना नामान्तरकरण दायर करना पटवारी की मनमानी का परिचायक है। बेचान में किसी भी खसरा नम्बर का कुछ अंश बेचान होने पर पटवारी द्वारा संबंधित भू भाग को लाल स्याही से दर्शाते हुए दो प्रतियों में नजरी नक्शा बनाकर नामान्तरकरण की दोनों प्रतियों पर चस्पा करना एवं कब्जे बाबत जांच अपेक्षित है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा नामान्तरकरणों के दायर, जांच व निर्णय करने बाबत विस्तृत परिपत्र दिनांक 2–1–2006 की पालना में टिप्पणी अंकित करना अपीलांट का कर्तव्य पालन का सबूत है। जबकि जिला कलक्टर टोंक ने अपीलांट की सदाचारिता को सन्देह की नजर से देखते हुए दण्डादेश पारित किया है। सन्देह चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। अतः सन्देह के आधार पर न तो आरोपित किया जा सकता है और न ही दण्डित किया जा सकता है। अतः अपीलाधीन आदेश न्याय नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि जिला कलक्टर, टोंक ने पटवारी द्वारा की गई गलती पर अपना ध्यान केन्द्रित न कर अपीलांट को दोषी माना है। जबकि पटवारी हलका ने मृत खातेदारों के मृत्यु प्रमाण पत्र लिये बिना तथा मृतक के वारिसान को सजरा बनाकर दर्शाये बिना नामान्तरकरण दायर करने पर उन नामान्तरकरणों पर अपीलांट द्वारा आक्षेप लगाया गया है जबकि यह गिरदावर के कर्तव्य की पालना में आता है। नामान्तरकरणों से किसी पक्षकारों के अधिकार तय नहीं होते है। अपीलांट पर लगाये गये चारों आरोप नामान्तरकरणों की जांच में ढिलाई बरतने के बारे में है जो पूर्णतया गलत है क्योंकि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र व राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 121 व 137 की पालना में नामान्तरकरणों पर लगाये गये आक्षेप कर्तव्य पालन का पक्का सबूत है। उक्त कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर जिला कलक्टर, टोंक द्वारा विधिविरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलांट पर लगाये गये आरोपों में वर्णित नामान्तरकरण की जांच हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष पेश करने का पक्का

साक्ष्य प्रपत्र पी–21 एवं पटवारी की दैनिक डायरी आरोपों के समर्थन में रेकार्ड पर नहीं लिये गये जिससे आरोप निराधार होते हुए भी अपीलांट को जिला कलक्टर महोदय टोंक ने निर्दोष होते हुए दण्डित किया है। पटवारी द्वारा नामान्तरकरण से संबंधित मासिक मानचित्र व मासिक सारांश में भी वह नामान्तरकरण अवशेष नहीं दर्शाये गये जो आरोपों में अंकित है। अपीलांट द्वारा अपने जवाब में इस बाबत निवेदन किया किन्तु जिला कलक्टर टोंक ने इस पर गौर नहीं कर दण्डादेश पारित किया जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि प्राथमिक जांच में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही शिकायतकर्ता सरपंच व संबंधित पक्षकारान के बयान लिये जबकि यह आवश्यक था। नायब तहसीलदार, टोंक द्वारा प्राथमिक जांच 31–5–2016 को प्रेषित की गई और बाद में जुलाई व अगस्त में सरपंच व अन्य के बयान लिये जबकि प्राथमिक जांच के दौरान संबंधित के बयान लिये जाने चाहिए। प्राथमिक जांच के दौरान बयान गवाह कमलेश पुत्र भूरा ब्राहम्ण व राकेश पुत्र गोपाल बलाई के बयानों में दिनांक अंकित नहीं है जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उक्त गवाहों के बयान कब लिये गये। साथ ही जिला कलक्टर, टोक द्वारा 17 सीसीए के आरोप पत्र पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर तहसीलदार, टोंक की टिप्पणी ली गई जिसमें अपीलांट को निर्दोष माना गया है।

उनका यह भी कथन है कि कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक की कार्यालय टिप्पणी के पैरा संख्या 144 से 152, 164 से 166, 183 व 184 तथा प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) टोंक द्वारा कार्यालय टिप्पणी के पैरा संख्या 154, 169 व 194 पर की गई टिप्पणी से प्रार्थी की निर्दोषता सिद्ध होती है। यहां यह भी कहना उचित है कि नामान्तरकरण संख्या 1509 में 10 बिस्वा भूमि में से 4 बिस्वा भूमि का बेचान होने से सम्पूर्ण खसरा नम्बर का नजरी नक्शा 2 प्रतियों में बनाकर विक्रित भू–भाग को लाल स्याही से दर्शाते हुए नामान्तरकरण की दोनों प्रतियों पर चस्पा करना चाहिए था जो पटवारी द्वारा नहीं किया गया साथ ही पटवारी हलका को विरासत के नामान्तरकरण दर्ज करने में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सजरा वारिसान बनाकर दर्ज करना चाहिए था जो नहीं किया गया इस कारण अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण पर आक्षेप लगाया गया जिला कलक्टर, टोंक द्वारा भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 121 के प्रावधानों का गलत अर्थ निकालकर अपीलांट के विरूद्ध नियम 17 की कार्यवाही कर तीन वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है जबकि इन आरोपों के बारे में अपीलांट को दण्डित ही नहीं किया जा सकता।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित की है कि पैरा संख्या 1 स्वीकार्य नहीं है। अपीलार्थी की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की नायब तहसीलदार, टोंक से जांच करायी जाने पर आरोप पत्र जारी कर जवाब प्राप्त होने पर युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाना निर्णय पारित किया गया जो नियमानुकूल है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि शिकायत नामान्तरकरणों की समय पर जांच नहीं करने, अनावश्यक रूप से जांच में देरी करने क संबंध में की गई थी। शिकायत अभिलेख के आधार पर होने के कारण प्राथमिक जांच में अपीलार्थी को नहीं सुना गया परन्तु निर्णयादेश पारित करने से पूर्व पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया है। नामान्तरकरणों के आधार पर प्राथमिक जांच सही थी, जिसको जांच अधिकारी द्वारा सही माना है। अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के जिस परिपत्र का अंकन किया गया है उसी परिपत्र में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा नामान्तरकरण की जांच 10 दिवस में पूर्ण करने का प्रावधान किया गया है। अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण पर आक्षेपानुसार पूर्ति कर 10 दिवस में जांच पूर्ण कर निर्णय हेतु पटवारी को देना चाहिए था। अपीलार्थी भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था तथा अधिनस्थ कार्मिक से कार्य लेने का दायित्व उसका स्वयं का था। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 1–241 दिनांक 2–1–2006 द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक को 10 दिवस में जांच कर नामान्तरकरण निर्णय करने हेतु पटवारी को देने का प्रावधान है जबकि अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण पर आक्षेप अंकित किया गया है लेकिन उसके निवारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 2–1–2006 के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक को 10 दिवस में नामान्तरकरण की जांच कर देनी चाहिए। राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 121 मे स्पष्ट अंकित है कि निरीक्षक संबंधित कागजात की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा कर पटवारी द्वारा पूर्ण तथा प्रतिपर्ण में की गई प्रत्येक प्रविष्टि का अनुप्रमाणन करेगा और संक्षेप में इस बारे में प्रविष्टि करेगा कि उसने ऐसा कर लिया है। निरीक्षक पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 10 दिवस में भीतर–भीतर कागजात पटवारी को अग्रेषित करेगा, जो उन्हें यथास्थिति, ग्राम पंचायत/तहसीलदार के समक्ष मंजूरी के लिए रखेगा। इसी के नियम 137 में पटवारी द्वारा कोई ऐसा नामान्तरकरण दर्ज करने की मनाही की गई है जो किसी अधिनियम अध्यादेश अथवा नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो। आरोप पत्र में अंकित नामान्तरकरणों को आक्षेप लगाकर अपीलार्थी द्वारा बिना किसी परिवर्तन के जांच में स्वीकृत योग्य पाया गया है। आक्षेप की पूर्ति करने का दायित्व अपीलार्थी का था। अपीलार्थी द्वारा संबंधित पटवारी के मासिक मानचित्र एवं

मासिक सारांश को अभिलेख के आधार पर जांच की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा पटवारी से नामान्तरकरण के आक्षेप की पूर्ति करवाने का प्रथम दायित्व था। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। जिला कलक्टर, टोंक द्वारा आदेश क्रमांक प.9 (23)/प्रा.जा./टोंक/2016/2967 दिनांक 07–06–2017 द्वारा श्री रामलक्ष्मण विजय भू–अभिलेख निरीक्षक, छान तहसील टोंक विरूद्ध आदेश दिनांक 26–05–2017 जिसके द्वारा अपचारी भू.अ.निरीक्षक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धिया असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत चारो आरोपों के संबंध में नामान्तरकरणों को जानबूझकर अनावश्यक टिप्पणी अंकित कर लम्बित रखे जाने के कारण चारो आरोप साबित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वेतन वृद्धिया असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, टोंक द्वारा उक्त आदेश में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं व विधिक प्रावधानों को नहीं मानने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया। जिला कलक्टर, टोंक ने तहसीलदार टोंक से टिप्प्णी प्राप्त की जिसमें उल्लेखित किया है कि आरोप पत्र में अंकित नामान्तरकरणों में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा आक्षेप लगाये गये है उनके अनुसार जांच किया जाना आवश्यक था जो जांच की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ताकि नामान्तरकरण की जांच में गलती न हो। पटवारी हलका द्वारा नामान्तरकरण बाद आक्षेप पूर्ति, भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष कब प्रस्तुत किये गये, इसकी किसी भी अभिलेख से पुष्टि नहीं होती है। पटवारी द्वारा कुछ नामान्तरकरण को जांच हेतु विलम्ब से प्रस्तुत किये गये है। नामान्तरकरणों की जांच में भू–अभिलेख निरीक्षक की बदनियती प्रतीत नहीं होती है। नियमों के परिप्रेक्ष्य में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कार्यालय जिला कलक्टर टोंक की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपचारी श्री रामलक्ष्मण विजय, भू–अभिलेख निरीक्षक, छान को जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 3–6–2016 को निलम्बित किया गया और अपचारी के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के कारण विभागीय कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए दिनांक 22–7–2016 को बहाल कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अपचारी भू–अभिलेख निरीक्षक को बिना किसी आधार के निलम्बित किया गया।

पत्रावली एवं कार्यालय की टिप्पणी से यह भी स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपचारी को ज्ञापन के साथ आरोप पत्र भी दिनांक 20–3–2017 को दिये गये है। अपचारी के विरूद्ध आरोपित किये गये चारो आरोपों में नामान्तरकरण लम्बित रखने एवं जांच देरी से करने का आरोप लगाया गया है जबकि तहसीलदार, टोंक एवं प्रभारी अधिकारी, (भू.अ.) टोंक द्वारा अपचारी श्री रामलक्ष्मण विजय भू.अ.निरीक्षक को दोषी नहीं माना है। जिला कलक्टर, टोंक से प्राप्त मूल पत्रावली, कार्यालय टिप्पणी एवं तहसीलदार, टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी के अवलोकन एवं अपचारी श्री रामलक्ष्मण विजय भू–अभिलेख निरीक्षक का जवाब एवं व्यक्तिगत सुनवाई में दी गई दलीलों से मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि अपचारी पर लगाये गये आरोप गम्भीर आरोप नहीं है। पटवारी द्वारा नामान्तरकरण भरकर भू–अभिलेख निरीक्षक के पास प्रस्तुत करना एवं भू–अभिलेख निरीक्षक जांच किया जाना आवश्यक था जो जांच की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ताकि नामान्तरकरण की जांच में किसी प्रकार की गलती न हो। तहसीलदार, टोंक द्वारा भी जांच रिपोर्ट में अपचारी भू–अभिलेख निरीक्षक की बदनियति नहीं होना जाहिर किया है। जिला कलक्टर टोंक ने तहसीलदार, टोंक की जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को एवं अपचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर दण्डादेश दिनांक 26–05–2017 पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, टोंक का आदेश क्रमांक प.9 (23)/प्रा. जा./टोंक/2016/2967 दिनांक 07–06–2017 एवं निर्णय 26–5–2017 निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर